संख्या 3762/जी0एस0(शिक्षा)/A3-29/2012

प्रेषक,

रीना जोशी,
कुलाधिपति के अपर सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय : उत्तराखण्ड

देहरादून दिनांक 25 अगस्त, 2025

महोदय,

कृपया कुलसचिव, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल द्वारा इस सचिवालय को प्रेषित पत्र संख्या 226 दिनांक 22.06.2023 एवं पत्र संख्या 211, दिनांक 21.06.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनमें **श्री सनातन धर्म कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रूद्रपुर, ऊधम सिंह नगर को एम0ए0 (गृह विज्ञान एवं अंग्रेजी) पाठ्यक्रम हेतु अस्थाई** सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव संस्तुति सहित इस सचिवालय को उपलब्ध कराये गये हैं।

2– उक्त सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल की आख्या, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 (यथाप्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा–37(2) के अन्तर्गत महाविद्यालय/संस्थान को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रमों, सीटों एवं अवधि के अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव पर मा0 कुलाधिपति द्वारा निम्न उपबन्धों के साथ अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान की गई है :–

क्रमांक	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार)	अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की अवधि
1	2	3	4	5
01	श्री सनातन धर्म कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रूद्रपुर, ऊधम सिंह नगर।	एम0ए0 (गृह विज्ञान एवं अंग्रेजी)	40 सीट प्रति विषय	2020–21, 2021–22 एवं 2022–23

- निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, U.G.C विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्रवाई की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ 02 माह में उपलब्ध करायें।
- विश्वविद्यालय, शैक्षिक सत्र 2025–26 के लिए संस्थान से प्राभूति राशि, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 649, दिनांक 14.12.2016 के अनुसार पूर्ण करवाना सुनिश्चित करेगा। यदि विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2025–26 के लिए इस उपबन्ध का अनुपालन नहीं किया जाता है तो सत्र 2025–26 के प्रस्तावों पर प्राभूति राशि अपूर्ण होने की दशा में विचार नहीं किया जाएगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय का होगा।
- संस्थान में भवन मानकानुसार पूर्ण कराने का दायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

- अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव U.G.C. विनियम/नियामक संस्था एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार्य होंगे अन्यथा की स्थिति अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसका पूर्ण दायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

भवदीया,
Digitally signed by
REENA JOSHI
Date: 25-08-2025
17:54:54
(रीना जोशी)
कुलाधिपति के अपर सचिव।

संख्या :3762(1)/जी0एस0(शिक्षा)/A3-29/2012 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्रबन्धक/प्राचार्य– सम्बन्धित महाविद्यालय।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

Digitally signed by
Shri Laxman Ram Arya
Date: 26-08-2025
10:33:41

आज्ञा से,

(लक्ष्मण राम आर्य)
कुलाधिपति के उपसचिव।

File No. RB-EDUC02/45/2024-RAJBHAWAN (Computer No. 1194)
Generated from eOffice by MANJEET SINGH, RO-MS, REVIEW OFFICER, Rajbhawan Uttarakhand on 26/08/2025 01:42 pm